भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
आतारांकित प्रश्न सं.1761
बुधवार, 7 अगस्त, 2024 (श्रावण 16, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

एनयूसीएफडीसी

1761 डॉ. अशोक कुमार मित्तल:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)क्या 20 वर्षों के बाद स्थापित एनयूसीएफडीसी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करेगी;
(ख) जैसा कि कहा गया है, एनयूसीएफडीसी की शुरुआत शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्व-विनियमन के एक नए युग को किस प्रकार दर्शाती है;
(ग) क्या सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए सरकार की व्यापक पहल में विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों के लिए तैयार की गई व्यापक सहायता शामिल है; और
(घ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम के साथ शहरी सहकारी बैंकों के अनुपालन को बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जाने की योजना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): भारत में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे किविनियामक और अनुपालन संबंधी मुद्दे,वित्तीय चुनौतियाँ,परिचालन के मुद्दे,शासन संबंधी समस्याएं,बुनियादी ढांचे की समस्याएं, तकनीकी समस्याएं आदि जो उनकी स्थिरता और प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। इन मुद्दों के कारण पिछले दो दशकों में यूसीबी की संख्या में लगभग 400 की गिरावट आई है, वर्ष 2004 में कुल 1926 यूसीबीथी जो 2024 में लगभग 1500 रह गई है । 2004 के बाद यूसीबी के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं।

मुद्दे की जांच करने के लिए, श्री एन एस विश्वनाथन की अध्यक्षता में शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने जुलाई, 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यूसीबी के लिए एक मजबूत शीर्ष इकाई के गठन की सिफारिश की। विभिन्न विकल्पों की जांच करने के बाद, आरबीआई ने एनबीएफसी के रूप में एक अम्ब्रेला संगठन स्थापित करने के लिए नेफकॉब को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) नामक अम्ब्रेला संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाकर सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण में तेजी लाना, सहयोग को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य बैंक डिजिटल युग की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हों।एनयूसीएफडीसी में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार करने की क्षमता है; इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह इन चुनौतियों का कितनी अच्छी तरह समाधान करता है और अपनी रणनीतियों को कैसे लागू करता है।

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के हितधारकों द्वारा एनयूसीएफडीसी की सफलता पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी और यह अन्य क्षेत्रों में इसी तरह की पहल के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।

(ख): एनयूसीएफडीसी भारत में यूसीबी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर के अम्ब्रेला संगठन (यूओ) की भूमिका निभाएगा और निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित गतिविधियों को अंजाम देगा। अम्ब्रेला संगठन की स्थापना का उद्देश्ययूसीबी के लिए क्षमता निर्माण,विशेष रूप से छोटे यूसीबी की परिचालन दक्षता को बढ़ाना अत्याधुनिक आईटी सहायता तथा निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करना है। इससे यूसीबी के विकास में मदद मिलने तथा जनता का विश्वास बढ़ने की उम्मीद है।एनयूसीएफडीसी ने 117.95 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी जुटाने के बाद 8 फरवरी, 2024 को आरबीआई से पंजीकरण प्राप्त कर लिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी के अनुसार, अम्ब्रेला संगठन स्व-नियामक संगठन के रूप में कार्य करेगा, जिसके कार्य/गतिविधियाँ RBI द्वारा निर्धारित की जाएँगी। अम्ब्रेला संगठन स्व-नियामक संगठन (SRO) की गतिविधियों को शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए RBI से तभी संपर्क कर सकता है, जब वह 300 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी प्राप्त कर ले और उस समय SRO पर लागू नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करे। NUCFDC को RBI द्वारा पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर (7 फरवरी, 2025 तक) चुकता पूंजी प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। NUCFDC द्वारा निभाई जाने वाली SRO भूमिका का दायरा RBI द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ग) और (घ): सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। ये पहल सहकारी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने, उनकी परिचालन दक्षता बढ़ाने और वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुपालन सहित शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल और कार्रवाई इस प्रकार हैं:-

i. शहरी सहकारी बैंक अपनी नई शाखाएं खोल सकते हैं।
ii. शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड को अब वाणिज्यिक बैंकों की तरह निपटान नीति/ओटीएस तैयार करने के लिए सशक्त बनाया गया है।
iii. शहरी सहकारी बैंकों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में एक नोडल अधिकारी को आरबीआई द्वारा नामित किया गया है।
iv. शहरी सहकारी बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य हासिल करने के लिए दो वर्ष की अतिरिक्त समय-सीमा दी गई है।
v. आरबीआई ने अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सीईओ आदि की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/बर्खास्तगी के संबंध में अनुमोदन देने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की है तथा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/बर्खास्तगी के लिए 30 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।
vi. शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को उनके घर तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है।
vii. शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा भी दोगुनी से अधिक कर दी गई है।
viii. शहरी सहकारी बैंकों के लिए समय-निर्धारण मानदंडों की अधिसूचनाजारी ।

*****